



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

51-2020/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, APRIL 16, 2020 (CHAITRA 27, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 16 अप्रैल, 2020

संख्या 35/जीएसटी-2.—हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (पांचवा संशोधन) नियम, 2020, कहे जा सकते हैं।
(2) इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, ये नियम 03 अप्रैल, 2020 से लागू हुए समझे जाएंगे।
- हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिन्हें, इसमें, इसके पश्चात्, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 3 में, उपनियम (3) में, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा तथा 31 मार्च, 2020 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

- अंत में विद्यमान “।” के स्थान पर, “:” चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा
- निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा तथा 31 मार्च, 2020 से रखा गया समझा जायेगा, अर्थात्:—

“परंतु कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए धारा 10 के अधीन कर का भुगतान करने का विकल्प लेता है, या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित **प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02** में सूचना को 30 जून, 2020 को या उससे पूर्व दायर करेगा और नियम 44 के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसार **प्ररूप जीएसटी आईटीसी-3** में विवरण 31 जुलाई, 2020 तक प्रस्तुत करेगा।”।

- उक्त नियमों में, नियम 36 में, उपनियम (4) में,—

- अंत में विद्यमान “।” के स्थान पर, “:” चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा
- निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु उक्त शर्त फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, 2020 की अवधि के लिए संचयी रूप से लागू होगी और सितंबर, 2020 की कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** की विवरणी, उपर्युक्त शर्तों के अनुसार उक्त मासों के लिए इनपुट कर प्रत्यय का संचयी रूप से समायोजन करके प्रस्तुत की जाएगी।”।

अनुराग रस्तोगी,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 16th April, 2020

No.35/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Fifth Amendment) Rules, 2020.
(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall be deemed to have come into force with effect from the 3rd April, 2020.
2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3, in sub-rule (3), with effect from the 31st March, 2020,-
 - (i) for the sign “.” existing at the end, the sign “:” shall be substituted;
 - (ii) the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that any registered person who opts to pay tax under section 10 for the financial year 2020-21 shall electronically file an intimation in **FORM GST CMP-02**, duly signed or verified through electronic verification code, on the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, on or before 30th day of June, 2020 and shall furnish the statement in **FORM GST ITC-03** in accordance with the provisions of sub-rule (4) of rule 44 upto the 31st day of July, 2020.”.
3. In the said rules, in rule 36, in sub-rule (4),-
 - (i) for the sign “.” existing at the end, the sign “:” shall be substituted;
 - (ii) the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that the said condition shall apply cumulatively for the period February, March, April, May, June, July and August, 2020 and the return in **FORM GSTR-3B** for the tax period September, 2020 shall be furnished with the cumulative adjustment of input tax credit for the said months in accordance with the condition above.”.

ANURAG RASTOGI,
Principal Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.